CHIEF MINISTER'S YOUTH INTERNSHIP PROGRAMME
Mukhyamantri Janseva Mitra

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल (म.प्र.)

सुशासन भवन, भदभदा चौराहा, टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.) – 462003

Website: https://aiggpa.mp.gov.in

मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फोर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत द्वितीय चरण (अगस्त 2023-जनवरी 2024) के इंटर्न के रूप में नियुक्ति हेतु

नियम पुस्तिका – 2023

ऑनलाईन आवेदन पत्र	
आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि : 02 जुलाई 2023	आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि : 10 जुलाई 2023

1. मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फोर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम (CMYIPDP) की मूल जानकारी :-

- मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फोर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम (CMYIPDP) मध्यप्रदेश शासन की एक प्रमुख पहल है।
- इसे राज्य के युवाओं को पेशेवर कामकाजी माहौल के माध्यम से डेवलपमेंट सेक्टर में एक्सपोजर के साथ-साथ ऑनलाइन कोर्स करवाने हेतु उपलब्ध किया गया है।
- यह कार्यक्रम Earn – While – You - Learn मॉडल पर आधारित है।
- इंटर्न को स्टाइपेंड अर्जित करते हुए अपने कौशल को सुधारने का अवसर मिलेगा।
- इंटर्न आईईसी, डोर-टू-डोर आउटरीच, सामुदायिक सर्वेक्षण, डेटा संग्रह, रिपोर्टिंग, निगरानी आदि सहित कई सामुदायिक लामबंदी, क्षमता निर्माण और क्षेत्र गतिविधियों में संलग्न होंगे।
- इंटर्नशिप अवधि में यात्रा करना अनिवार्य होगा, अतः आवेदक का शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होना आवश्यक है।
- चयनित इंटर्न्स को "मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र" कहा जाएगा।

2. रिक्तियों की संख्या :-

2.1 कुल 4695 (प्रदेश के समस्त 52 जिलों के सभी 313 विकासखंडों में)

3. शैक्षणिक योग्यता :-

3.1 **अनिवार्यः** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

3.2 यूजीसी/AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य माना जाएगा।

4. मानदेय :-

4.1 रूपये 8,000/- प्रतिमाह (निर्धारित)

5. आयु सीमा:-

5.1 दिनांक 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आयु 18 से 29 वर्ष।

TARUNESH UMRAO
ADVISOR
AIGGPA MP

6. आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश :-

6.1 आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों का अध्ययन करें।

6.2 आवेदन भरने की प्रक्रिया जानने के लिए एआईजीजीपीए की वैबसाइट (**https://aiggpa.mp.gov.in**) पर दी गई लिंक पर क्लिक करके निर्देशिका प्राप्त करें।

6.3 ऑनलाईन आवेदन पत्र, दी गई वेबसाईट लिंक - **https://services.mp.gov.in/main/citizen/login?p=133&t=1** के माध्यम से भरा जा सकता है।

6.4 वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में उत्तीर्ण स्नातक/स्नातकोत्तर/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा की अंतिम वर्ष की अंकसूची आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है, इनके अभाव में आवेदन निरस्त माना जाएगा।

6.5 आवेदन पत्र में दी गयी अहर्ता संबंधी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

6.6 ऐसे आवेदक आवेदन न करें, जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हों लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आवेदन करने की अंतिम तिथि तक घोषित न हुआ हो।

7. निरहर्ता के मापदंड :-

7.1 किसी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए किन्ही भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए निरहित माना जा सकेगा।

7.2 ऐसे उम्मीदवार जो विधिक रूप से किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हों या उनके विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में कोर्ट में मामला लंबित हो, वो आवेदन के लिए अपात्र होंगे।

7.3 फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने/दस्तावेज में फेरबदल करने, चयन के स्तर पर जानकारी छुपाने/सारभूत जानकारी छुपाने पर आवेदक को अपात्र माना जाएगा।

7.4 ऐसे उम्मीदवार जो किसी भी शासकीय अथवा गैर शासकीय संस्था से वर्तमान में इंटर्नशिप कर रहे हैं, अथवा शासकीय/अशासकीय नौकरी में हैं और मानदेय/वेतन प्राप्त करते हैं, उन्हें अपात्र माना जाएगा।

7.5 ऐसे उम्मीदवार जो पूर्व में 1 फरवरी 2023 से प्रारम्भ हुए मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फोर प्रोफेशनल डेवलेपमेंट प्रोग्राम (CMYIPDP) में इंटर्न के रूप में चयनित हुए, परंतु उन्होंने आधी अवधि में ही इंटर्नशिप छोड़ दी या संस्थान द्वारा हटाया गया उन्हें अपात्र माना जाएगा।

8. दस्तावेजों का परीक्षण :-

8.1 आवेदक के अहर्ता संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन, साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों से मिलान कर कराया जायेगा।

8.2 यदि सत्यापन के समय यह पाया जाता है, कि आमंत्रित उम्मीदवार विज्ञप्ति अनुसार अर्हता नहीं रखता है, तो उसकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त जानी जायेगी।

8.3 दस्तावेजों में असत्यता पाई जाने पर चिन्हित उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

9. चयन प्रक्रिया :-

9.1 साक्षात्कार उपरांत निम्नानुसार अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर इंटर्न के रूप में नियुक्ति दी जाएगी : -

TARUNESH UMRAO
ADVISOR
AIGGPA MP

9.3 यदि साक्षात्कार के पश्चात एक से अधिक उम्मीदवारों को अंतिम मेरिट में समान अंक प्राप्त होते हैं, तो उनकी प्राथमिकता निम्नानुसार तय की जाएगी :-

9.3.1 अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।

9.3.2 जन्मतिथि भी समान होने पर स्नातक में अधिक प्राप्तांक वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।

10. महत्वपूर्ण निर्देश:-

10.1 आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का ही मूल निवासी हो।

10.2 विज्ञापन अनुसार निर्धारित योग्यता की पूर्ति करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक 01/07/2023 से दिनांक 10/07/2023 तक भर सकते हैं।

10.3 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो, मध्यप्रदेश के संबन्धित जिले का मूलनिवास का प्रमाण पत्र एवं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों (भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सत्र 2021-22/सत्र 2022-23 में उत्तीर्ण स्नातक/स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकसूची की जानकारी आवेदन फॉर्म दी गई है, उसकी मूल प्रति एवं एक सेट स्व-सत्यापित छायाप्रतियाँ सहित दस्तावेज़ सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य है।)

10.4 साक्षात्कार के समय शैक्षणिक अहर्ता संबंधी समस्त अंकसूची, एनएसएस/एनसीसी के अंतर्गत ए/बी/सी प्रमाण पत्र धारक एवं एनएसएस/एनसीसी/स्काउट गाइड रेंजर/रोवर/एनवाईकेएस के अंतर्गत राष्ट्रीय शिविर/राज्य स्तर शिविर अनुभव प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ (एक सेट स्व-सत्यापित छायाप्रतियाँ सहित) दस्तावेज़ सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य है।

10.5 आवेदन अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

10.6 अंतिम रूप से चयन होने पर इंटर्नशिप की 06 माह अवधि हेतु इंटर्न के रूप में नियुक्ति की जावेगी। चयन उपरांत निर्धारित दिनांक में ज्वाइन करना अनिवार्य होगा।

10.7 विज्ञापन में प्रकाशित इंटर्न्स की संख्या में वृद्धि/कमी एवं आवश्यकतानुसार जिले के दूसरे विकासखंड में नियुक्त करने का अधिकार अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल का होगा।

10.8 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय हेतु अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल का होगा।

10.9 आवेदन पत्र में सही जानकारी देना अभ्यर्थी उम्मीदवार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

10.10 साक्षात्कार, दस्तावेज़ सत्यापन एवं नियुक्ति हेतु आने वाले किसी भी श्रेणी के अभ्यार्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

10.11 संबंधित जानकारियाँ समय-समय पर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल की वेबसाईट https://aiggpa.mp.gov.in पर ही दी जायेगी। अतः आवेदक समय- समय पर वैबसाइट का अवलोकन करते रहें।

10.12 किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल जिला न्यायालय तक ही सीमित होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एआईजीजीपीए, भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन
एवं नीति विश्लेषण संस्थान
भोपाल (म.प्र.)

TARUNESH UMRAO